2017 का विधेयक संख्यांक 222

[दि रिप्रेजन्टेशन ऑफ दि पीपुल (अमेंडमेंट) बिल, 2017 का हिंदी अनुवाद]

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

अध्याय 2

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का संशोधन

धारा 20 का संशोधन ।

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 की उपधारा (6) में,-- 1950 का 43

(i) "व्यक्ति की पत्नी" शब्दों के स्थान पर, "व्यक्ति का पति या पत्नी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "निवास करती हो तो ऐसी पत्नी" शब्दों के स्थान पर, "निवास करता हो या करती हो तो ऐसे पति या पत्नी" शब्द रखे जाएंगे ।

अध्याय 3

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का संशोधन

धारा 60 का संशोधन ।

3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 में,-- 1951 का 43

(i) खंड (ख) के उपखंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ii) किसी ऐसे व्यक्ति, जिसको 1950 के अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (3) के उपबंध लागू होते हैं, की पत्नी या का पति और ऐसी पत्नी या ऐसा पति उस धारा की उपधारा (6) के निबंधनों के अनुसार उस व्यक्ति के साथ मामूली तौर पर निवास कर रही हो या कर रहा हो ;";

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(खक) किसी व्यक्ति को, जो 1950 के अधिनियम की धारा 20क में निर्दिष्ट किया गया है, निर्वाचन क्षेत्र में के किसी निर्वाचन में स्वयं या परोक्षी द्वारा, न कि किसी अन्य रीति में, अपना मत देने में,"। 1950 का 43

उद्देश्यों और कारणों का कथन

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 लोक सभा और राज्यों के राज्य विधान-मंडलों में स्थानों के आबंटन, उनके लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, ऐसे निर्वाचनों से मतदाताओं की अर्हताओं, निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने, राज्य सभा में संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों को भरने की रीति और तत्संसक्त विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था । वर्ष 1951 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम संसद् के सदनों और हर एक राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों के लिए निर्वाचनों के संचालन के लिए, उन सदनों की सदस्यता के लिए अर्हताओं और निर्हरताओं के लिए, ऐसे निर्वाचनों में या उनसे संसक्त भ्रष्ट आचरणों और अन्य अपराधों के और ऐसे निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त शंकाओं और विवादों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क निर्वाचक नामावलियों में प्रवासी निर्वाचकों के रजिस्ट्रीकरण और नामांकन के लिए उपबंध करती है । निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 में यह उपबंधित है कि प्रवासी निर्वाचक स्वयं को पासपोर्ट और विधिमान्य वीसा की स्व अनुप्रमाणित प्रतियों के आधार पर उनके अपने-अपने निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में रजिस्टर करा सकते हैं और विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्रों पर मतदान के समय पर मूल पासपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं । अतः, उक्त नियम प्रवासी निर्वाचकों की, मतदान के दिन भारत में उनके निर्वाचन केन्द्र पर शारीरिक उपस्थिति को नियत करते हैं । इससे मतदान के दिन भारत में उपस्थित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने में प्रवासी निर्वाचकों को कठिनाई होती है ।

3. प्रवासी निर्वाचकों के सम्मुख आने वाली उपरोक्त कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने बाह्य मतदान की रीति अर्थात् परोक्षी द्वारा मतदान को सुकर बनाने की व्यवहार्यता पर विचार किया है जिसके द्वारा ऐसे निर्वाचक विदेशों में अपने निवास स्थान से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं । तदनुसार, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में अधिकथित कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए प्रवासी निर्वाचकों को उनकी ओर से निर्वाचन में मतदान करने के लिए परोक्षी नियुक्त करने हेतु समर्थ बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 का संशोधन करने का प्रस्ताव है । इससे वर्तमान में प्रवासी निर्वाचकों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के संबंध में उनके सम्मुख आने वाली कठिनाइयां पर्याप्त रूप से कम होंगी ।

4. इन उपबंधों को लिंग निरपेक्ष बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है ।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ; **रविशंकर प्रसाद**

19 नवम्बर, 2017

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 4, केन्द्रीय सरकार को उपखंड (खक) के अधीन विनिर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में नियम बनाने के लिए सशक्त करता है, जो, अन्य बातों के साथ, प्रवासी निर्वाचकों द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में आवश्यक संशोधन करके उनकी ओर से मत डालने के लिए परोक्षी की नियुक्ति के माध्यम से मताधिकारों का प्रयोग करने के लिए रीति और कार्यप्रणाली से सम्बन्धित है ।

2. मूल अधिनियम की धारा 169 की उप-धारा (3) में यह अपेक्षित है कि उक्त अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

3. वे विषय, जिनके सम्बन्ध में नियम बनाये जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम संख्यांक 43) से उद्‌धरण

*   *   *   *   *   *

20. (1)   *   *   *   *   *   मामूली तौर से निवासी का अर्थ ।

(6) यदि ऐसे किसी व्यक्ति की पत्नी, जैसे व्यक्ति के प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, उसके साथ मामूली तौर से निवास करती हो, तो ऐसी पत्नी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है ।

*   *   *   *   *   *

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम संख्यांक 43) से उद्‌धरण

*   *   *   *   *   *

कुछ वर्गों के व्यक्तियों द्वारा मत दिए जाने के लिए विशेष प्रक्रिया ।

60. धारा 59 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा,--

(क)   *   *   *   *   *

(ख) निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी को निर्वाचन-क्षेत्र में के किसी निर्वाचन में, जिसमें मतदान होता है, स्वयं या डाक-मतपत्र द्वारा, न कि किसी अन्य रीति में, अपना मत देने में, अर्थात् :--

1950 का 43   (i) कोई ऐसा व्यक्ति, जो 1950 के अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (8) के खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट है ;

1950 का 43   (ii) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसको 1950 के अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (3) के उपबंध लागू होते हैं, पत्नी और जो पत्नी उस धारा की उपधारा (6) के निबंधनों के अनुसार उस व्यक्ति के साथ मामूली तौर पर निवास कर रही हो ;

*   *   *   *   *   *

GMGIPMRND—2787LS(CRC)—12-12-2017.